**FORM NO. 111**

फर्द अहकाम (नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रींगस (सीकर)

उनवान सीतादेवी बनाम अर्चना वगै0

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधज्ञा मुकदमा नं. 202 सन् 2025

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये |
|---|---|---|
| .08.2025 | प्रार्थी की ओर से वकील श्री दीपक बाजिया ने प्रा0 पत्र पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता ली गयी। प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे।<br><br>प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर प्रार्थना पत्र का उद्वेश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बिन्दु वकील प्रार्थी को सुना गया एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र की प्रकृति एंव आकस्मिकता को ध्यान में रखते हुए अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि उभय पक्षकारान को आगामी आदेश तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि राजस्व ग्राम चौमु पुरोहितान पटवार हल्का चौमु पुरोहितान तहसील रींगस जिला सीकर राज0 के भूमि ख0न0 1001, 1002 किता–2 ख0न0 1003 रकबा 0.6428 के मौके की यथास्थिति बनाए रखें विशिष्ट भू–भाग का बेचान नही करें।<br><br>उक्त अन्तरिम टी.आई. आदेश सीमाज्ञान / पत्थरगढी के विधिक आदेश की पालना में एवं रास्ता [illegible] व नवीन रास्ता चाहने के आदेश, विद्युत कनेक्शन [illegible] डालने, न्यायालय में विचाराधीन राको–रो[illegible] व अन्य राजकीय वसूली के प्रकरण में व भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही के क्रम में लागू नही होगी। | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2025.08.26 11:32:27 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एकपक्षिय सुनवायी के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एकपक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम 3 (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें अन्यथा अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी पर विस्तारित करनें से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एंवम अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन परिस्थियों में यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधन/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिये 03.09.2025 को पेश करे।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
रींगस सीकर

22/08/25 पत्रावली में प्रार्थियां सीतादेवी मय अधिवक्ता हाजिर आकर प्रार्थना पत्र कोर्ट मिसल [illegible] की प्रति का पेश किया [illegible] प्रति पत्र/ स्वीकार कर हस्ताक्षर [illegible] पत्र नियत पेशी से तलब कर नामांकन पत्र पेश करने की

उपखण्ड अधिकारी
रींगस (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2025.08.26 11:32:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रींगस (सीकर)

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये |
|---|---|---|
| | निगरानी के साथ निर्णय किया गया है।<br>फैसला सुनाया होकर नकल दे मन हो<br>बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>शींगस (सीकर)<br><br>उपखण्ड अधिकारी सींगस (सीकर) सत्यमेव जयते | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2025.08.26 11:32:27 IST
Reason: SelfAttested